भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1777
दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसपीआई योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भेषज क्षेत्र के एमएसएमई क्लस्टरों को सहायता

1777. श्री हर्ष महाजनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में स्थित भेषज क्षेत्र के एमएसएमई क्लस्टरों को औषध उद्योग का सशक्तिकरण योजना (एसपीआई) के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है;
(ख) यदि हाँ, तो सहायता प्राप्त इकाइयों/क्लस्टरों की संख्या तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इन एमएसएमई क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और संधारणीयता में सुधार के लिए विकसित की गई सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का स्वरूप क्या है; और
(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जी, हां। औषध उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय एक छत्रक योजना (एसपीआई) की उप-योजना अर्थात् साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) के अन्तर्गत साझी अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण को सहयोग प्रदान करके मौजूदा औषध क्लस्टर की सतत वृद्धि की क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

इस उप-योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित दो परियोजनाओं, मेसर्स वेल्ज़ो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हिमाचल प्रदेश टेस्टिंग लैब लिमिटेड (एचपीटीएलएल) को क्रमशः वित्त वर्ष 2022-23 (19.53 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ) और वित्त वर्ष 2025-26 (17.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ) में मंजूरी प्रदान की गई है। एपीआई-सीएफ उप-योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश से कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

मेसर्स वेल्ज़ो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की एक परियोजना, जिसे अनुसंधान एवं विकास एवं परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी, वित्त वर्ष 2022-23 में जारी ₹5.86 करोड़, वित्त वर्ष 2023-24 में जारी ₹4.88 करोड़, वित्त वर्ष 2024-25 में जारी ₹6.84 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 में जारी ₹1.95 करोड़ की केंद्रीय अनुदान सहायता के साथ पूरी हो चुकी है।

दूसरी परियोजना, मैसर्स हिमाचल प्रदेश टेस्टिंग लैब लिमिटेड (एचपीटीएलएल) को अनुसंधान एवं विकास के लिए साझे सुविधा केंद्र और कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त हो गई है। एचपीटीएलएल की उप-योजना के अनुसार प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने के कारण अभी तक वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, औषध उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए छत्रक केंद्रीय क्षेत्र योजना (एसपीआई) की उप-योजना अर्थात् संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) है, के तहत मौजूदा औषध इकाइयों को संशोधित अनुसूची-एम और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणन के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के उन्नयन को सुगम बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में वित्त वर्ष 2024-25 में 16 औषध इकाइयों को ₹17.19 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 में 27 औषध इकाइयों को ₹29.02 करोड़ की स्वीकृत राशि के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। स्वीकृत औषध इकाइयों में से सात औषध इकाइयों को ₹6.42 करोड़ का प्रोत्साहन जारी किया गया है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में स्थित औषध इकाइयों के कुल 21 आवेदन उक्त उप-योजना के तहत लंबित हैं, क्योंकि व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा उप-योजना के विस्तार पर अंतिम निर्णय होने तक अस्थायी प्रतिबंध लागू है।
